

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प 12(15) राज/वाद/08

जयपुर, दिनांक 24-2-14

:आदेश:

श्री परीक्षित सिंह डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल जयपुर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन आयुर्वेद विभाग के समस्त सिविल प्रकरणों की पैरवी हेतु आयुर्वेद विभाग पैरवी हेतु आवंटित किया जाता है एवं डॉ. प्रतिष्ठा दवे सिन्हा एडिशनल गवर्नमेन्ट काउन्सिल जोधपुर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन सामान्य प्रशासन विभाग के समस्त सिविल प्रकरणों की पैरवी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग पैरवी हेतु आवंटित किया जाता है।

आज्ञा से

— ६०

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव,

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री / मुख्य सचिव / अति० मुख्या सचिव / प्रमुख विधि सचिव / प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / आयुर्वेद विभाग
2. समस्त जिला कलक्टर / विभागाध्यक्ष।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
4. राजकीय महाधिवक्ता / गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर / जोधपुर।
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता / एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता।
7. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार जनरल / रजिस्ट्रार प्रशासन, राजस्थान उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर / जोधपुर।
10. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
12. लेखा शाखा, विधि विभाग, जयपुर।
13. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ / समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
14. कोषाधिकारी, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

(हरिकिशन खीवर)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण